संख्या-31 /2015/1490 ई-2/तेरह-2015-53/2009

प्रेषक,

मोहम्मद जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 24 जुलाई,2015

विषय:-मेसर्स यूनाइटेड स्प्रिट लि0, यूनिट मेरठ आसवनी को वर्तमान स्थल पर संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-33/दो-प्रा0डी0-34, दिनांक 05 जून,2015 तथा पत्र संख्या-जी-42/दो-प्रा0डी0-34, दिनांक 29 जून,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें शासनादेश संख्या-1759 ई-2/तेरह-2014-53/2009, दिनांक 27-11-2014 के क्रम में पूर्व प्रस्तावित स्थल पर आसवनी स्थापित किये जाने हेतु आदेश की वैधता बढाया जाना सम्भव न होने तथा अन्तिम अवसर कब तक प्रदान किया जाना है, के सम्बन्ध में मार्गदर्शन/शासन के स्पष्ट आदेश की अपेक्षा की गई है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने हेतु औद्योगिक माहौल बनाया जा रहा है। मेसर्स यूनाइटेड स्प्रिट लि0, यूनिट मेरठ आसवनी जनपद मेरठ में ही औद्योगिक क्षेत्र के आसपास आसवनी स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता के लिये प्रयासरत भी है। उक्त स्थिति एवं इकाई के अनुरोध के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा संदर्भित शासनादेश दिनांक 27 नवम्बर,2014 द्वारा प्रदान की गई अनुमति को माह सितम्बर,2017 तक विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(मोहम्मद जुनीद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in